छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा　　दशम् सत्र　　अंक-02

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2012

(आषाढ़-22, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 तक (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में धान भीग कर खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में अमझर स्थित छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा जलकर की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार/पटवारी की कमी होने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का उपयोग नहीं किए जाने, एवं

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र जारी करने में विलंब होने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

4. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 की तिथि निर्धारित की ।

अपराह्न 12.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ़, 25 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा